फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– /20

सुरेश कुमार **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 02.07.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
02.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थी विवादित भूमि के खाता संख्या 28 में खसरा नम्बर 336 लगायत 440, 479, 480, 481, 500, 502, 503 कुल किता 11 कुल रकबा 2.27 है0 एवं खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 162, 295/1, 296, 307, 320, 321, 322, 323, 349, 350, 353, 355 से 358, 364 से 367, 371, 389 कुल किता 21 कुल रकबा 8.05 है0 एवं खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 353/1, 355/1, 361/1, 362/667 कुल किता 04 कुल रकबा 0.11 है0 एवं खाता संख्या 13 के खसरा नंबर 297 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बगरिया तहसील चाकसू मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथूलाल पुत्र हरसहाय दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम सुरेशचन्द पुत्र हरसहाय दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथूलाल पुत्र हरसहाय नाम दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं प्रार्थी के शपथ पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी का नाम नाथूलाल पुत्र हरसहाय के स्थान पर नाथूलाल उर्फ सुरेशचन्द पुत्र हरसहाय की जावें। अतः प्रार्थी का नाम नाथूलाल उर्फ सुरेशचन्द पुत्र हरसहाय विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	